

(130)

(2)

पुनरीक्षण या चिका क्रं
प्रत्युत दिनांक

माननीय राजस्व मंडल गवा लियरूँडैप भोपाल

R - 3695 - १८४/१५

श्रीमति रुधाबाई पति श्री देवीसिंह रघुमंडी, पुत्री-
स्त्री सागरलाल रघुमंडी, निवासी-ग्राम पिपलिया-
कला, तहसील-सिवनी मालवा, जिला-होशंगाबाद —— आवेदिका

विस्तृ

१. श्रीमति सुमिलाबाई विधिा स्व. सागरलाल
रघुमंडी, निवासी-ग्राम कांसेडी, तहसील-सिवनी
मालवा, जिला-होशंगाबाद

२. गंभीरसिंह पिता स्व. सागरलाल रघुमंडी, निवासी-
ग्राम कांसेडी, तहसील-सिवनी मालवा, जिला-
होशंगाबाद

३. श्रीमति शोभाबाई पति राजेश कुमार रघुमंडी, पुत्री-
स्त्री सागरलाल रघुमंडी, निवासी-रसूलिया कालोनी,
होशंगाबाद, तहो व जिला-होशंगाबाद —— अनावेदक्षण

पुनरीक्षण या चिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश झु-राजस्व संहिता।

आवेदिका यह पुनरीक्षण या चिका माननीय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम
तंशाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 85/अ वर्ष 11-12 ग्राम
बाबडिया बापू, तहसील-सिवनी मालवा, जिला- होशंगाबाद में पारित आदेश
दिनांक 17/4/2014 से असंगुष्ट होकर नीचे लिखे अनुसार प्रत्युत है।

श्री ई. सस. युजेर
ठारिमावक काश अज
दिनांक ३०/०४/१५ को २.
भोपाल केम्प एस उत्तुत

३०/०४/१५

३८% / खंडील

र-३६९८ प्रक्रिया होशगढ़

(82)

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

प्रक्रियाएं एवं अधिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

30/8/2017

आवेदक अभिभाषक श्री जी.वी.यादव
तथा अभिभाषक द्वारा श्री के.कुमार यदुवंशी अभिभाषक
उपर्युक्त। उभयपक्ष द्वारा बताया गया कि वे छुकरण की
कानूनी घटना नहीं लाहते हैं। उभयपक्ष द्वारा उक्षण
जहीं पतलाने के अनुरोध प्रकरण समाप्त किया
जाता है।

अह यदि

~~Not True~~
~~Concurred~~
~~के.कुमार यदुवंशी~~
~~उक्षण~~